न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 143/2024

वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.136 एल.आर.एक्ट

1. मनीराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
—वादी

बनाम्

1. प्रदीप कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. मनप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
3. संदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
4. तहसीलदार(राजस्व)संगरिया
—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—1. श्री मनीराम सहू —वकील वादी

2. श्री सुरेन्द्र सिंह सूच —वकील प्रति 1 ,2

निर्णय

दिनांक :—01.05.2024

वादीया कुलदीप कौर ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा व तकसीम खाता व दुरूस्ती के तहत दिनांक 04—04—2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073—2076 के खाता स 60/63 व वादी व प्रतिवादी स 2 व 3 के नाम इसी चक के खाता स 57/46 मे साझा खाता मे कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि की जमाबंदी सलग्न वादपत्र है कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि मे दर्ज सयुक्त आराजी के सह काश्तकार है। उक्त वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित सयुक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 ने बटवारा अच्छी मंदी अनुसार काभी समय पूर्व कर लीया था व वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 मुताबिक बटवारा उक्त भूमि को काश्त करते आ रहे है कब्जा काश्त बाबत वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 के मध्य काई विवाद नही है किन्तु उक्त रकबा साझा खाता मे दर्ज होने के कारण व मुताबिक बटवारा व कब्जा काश्त बाबत दर्ज नही होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सींव बट व रकम राज को लेकर विवाद बना रहता है। इसलीए वादी मुताबिक आपसी बटवारा व कब्जा काश्त अनुसार खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित करवा अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

(क) वादी मनीराम के कब्जा काश्त की भूमि

चक न 7 बी.जी.पी खाता स 57/46,60/63

प.न	मु.न	कि.न
202/152 खा	39	3,4/0.253है प्र, 5/1/0.228है 5/2/0.0[illegible] 6/1/0.228है,6/2/0.025है ग.मु.खा 7,8,9,12,13,14/0.253है प्र

कुल—2.530हे मय गे.मु

(ख) प्रतिवादी स 1 के कब्जा काश्त की भूमि

चक न 7 बी.जी.पी खाता स 60/63

प.न	मु.न	कि.न
202/151	38	18 ता 23/0.253है प्रत्येक
202/152	39	1,2,10,11/0.253है प्र

कुल—2.530हे

(ग) प्रतिवादी स 2 मनप्रीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 16:01:5
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

चक न 7 बी.जी.पी खाता स 57/46

प.न	मु.न	कि.न
202/153	46	2,3,4,7,8,9,10/0.253है प्रत्येक
		कुल–1.771है

(घ) प्रतिवादी स 3 संदीप सिंह के कब्जा काश्त की भूमि
चक न 7 बी.जी.पी खाता स 57/46,60/63

प.न	मु.न	कि.न
202/152	39	17 ता 24/0.253है प्रत्येक
153/146	46	1/0.253है
		कुल–2.277है

क वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 ने वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित साझा खाता की भूमि का टवारा वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित भूमि अनुसार काफी समय पूर्व कर लिया था प्रतिवादी 2 व 3 एक हि परिवार के सदस्य है मुताबिक घरू बटवारा प्रतिवादी स 2 मनप्रीत ने अपने क व हिस्सा की भूमी चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 57/46 मे प्राप्त कर ली है इसलिए उक्त खाता चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 हिस्सा कम कर प्रतिवादी स 2 का उतना हिस्सा बढाना चाहते है। व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 है हिस्सा बढाया जाकर प्रतिवादी स 2 का नाम कलमजन करवाना चाहते है वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 की जाति जटसिख के स्थान पर जाट अकित हो गयी है व चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 2 की जाति जटसिख के स्थान पर जाट अकित हो गयी है। जो गलत है जाट के स्थान पर दुरूस्त कर जटसिख का अकन करवाना चाहते है वादी इसीअनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि प्रतिवादी संख्या 4 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता व दुरूस्ती का है जो 6 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। **(क)** कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे। (ख) कि चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 हिस्सा कम कर प्रतिवादी स 2 का उतना हिस्सा बढाया जावे व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 है हिस्सा बढाया जाकर प्रतिवादी स 2 का नाम कलमजन किया जावे (ग) कि चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप सिहं पुत्र बलवीर सिंह की जाति दुरूस्त कर जटसिख अकित किया जावे व चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 2 मनप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह की जाति दुरूस्त कर जटसिख अकित की जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 सहमति का जवाव दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 4 का तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल प्रत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं. चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 60/63 व इसी चक के खाता स 57/46 कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स

Signature Not Ver
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.05.21 16:0
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

/46 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 हिस्सा कम कर प्रतिवादी स 2 का उतना हिस्सा ढाया जावे व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 है हिस्सा ढाया जाकर प्रतिवादी स 2 का नाम कलमजन किया जावे व कि चक न.7 बी.जी.पी ज.स. 073–2076 के खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप सिहं पुत्र बलवीर सिंह की जाति रूस्त कर जटसिख अकित किया जावे व चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 7/46 मे प्रतिवादी स 2 मनप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह की जाति दुरूस्त कर जटसिख अकित ी जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का हमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता हैं कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम किया जाता है व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 हिस्सा कम कर प्रतिवादी स 2 का उतना हिस्सा ढाया जाता है व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 है हिस्सा ढाया जाकर प्रतिवादी स 2 का नाम कलमजन किया जाता है व चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप सिहं पुत्र बलवीर सिंह की जाति दुरूस्त कर जटसिख अकित किया जाता है व चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 2 मनप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह की जाति दुरूस्त कर जटसिख अकित की जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verifi

Digitally signed by Rake
Meena
Date: 2024.05.21 16:01:
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 143/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.136 एल.आर.एक्ट

मनीराम पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

–वादी

बनाम्

1. प्रदीप कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. मनप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
3. संदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
4. तहसीलदार(राजस्व)संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री मनीराम सहू वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री नरेन्द्र सिंह सूच वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यह डिक्री दी जाती है कि वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम किया जाता है व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 हिस्सा कम कर प्रतिवादी स 2 का उतना हिस्सा बढाया जाता है व चक.न.7 बी.जी.पी खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप का 0.632 है हिस्सा बढाया जाकर प्रतिवादी स 2 का नाम कलमजन किया जाता है व चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 60/63 मे प्रतिवादी स 3 संदीप सिहं पुत्र बलवीर सिंह की जाति दुरूस्त कर जटसिख अकित किया जाता है व चक न.7 बी.जी.पी ज.स.2073–2076 के खाता स 57/46 मे प्रतिवादी स 2 मनप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह की जाति दुरूस्त कर जटसिख अकित की जाती है। वाद पत्र की चरण स 3 निम्न प्रकार है।

(क) वादी मनीराम के कब्जा काश्त की भूमि

चक न 7 बी.जी.पी खाता स 57/46,60/63

प.न	मु.न	कि.न
202/152	39	3,4/0.253है प्र, 5/1/0.228है 5/2/0.025है गे.मु.खा 6/1/0.228है,6/2/0.025है गे.मु.खा 7,8,9,12,13,14/0.253है प्र
		कुल–2.530हे मय गे.मु

(ख) प्रतिवादी स 1 के कब्जा काश्त की भूमि

चक न 7 बी.जी.पी खाता स 60/63

प.न	मु.न	कि.न
202/151	38	18 ता 23/0.253है प्रत्येक
202/152	39	1,2,10,11/0.253है प्र
		कुल–2.530है

(ग) प्रतिवादी स 2 मनप्रीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि

चक न 7 बी.जी.पी खाता स 57/46

प.न	मु.न	कि.न
202/153	46	2,3,4,7,8,9,10/0.253है प्रत्येक
		कुल–1.771है

Signature Not Verifie
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 16:01:5
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(घ) प्रतिवादी स 3 संदीप सिंह के कब्जा काश्त की भूमि
चक न 7 वी.जी.पी खाता स 57/46,60/63

प.न	मु.न	कि.न
202/152	39	17 ता 24/0.253है प्रत्येक
153/146	46	1/0.253है

कुल–2.277है

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे
नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावें।
खर्चा......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......X......खर्चा
मुकदमे के सूद शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक......X......अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 01.05.2024......जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.21 15:01:58
Reason: SelfAttested